उपरोक्त विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक देय धनराशियो का भुगतान ओरियन्टल बैंक आफ व मेवाड इन्स्टीटयूट, सेक्टर–4, वसुन्धरा शाखा गाजियाबाद के **परिषद खाता संख्या–52331171000104 (गु पर्ची) में बैंक ड्राफ्ट (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद के पक्ष में देय)** के माध्यम से कार्यदिवसो में) अवश्य जमा करानी होगी एवं किसी भी धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर 19 प्रतिशत अति ब्याज पूर्ण माह का देय होगा। प्रदेशन पत्र के अनुसार प्रथम वांछित 25 प्रतिशत की धनराशि निर्धारित तिथि अवश्य जमा करानी होगी, निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा न होने पर भूखण्ड का प्रदेशन नियमानुसार करते हुए निरस्त कर दिया जायेगा। शेष नियम व शर्ते निम्नवत हैं –

अ प्रदेशन / आवटन पत्र निर्गत होने के 90 दिनो के अन्दर 25 प्रतिशत धनराशि एवं विविध शुल्क की ध उपरोक्तानुसार जमा करानी होगी एवं तत्पश्चात 60 दिनो के अन्दर किश्त किराया क्रय अनुबन्ध हेतु औपचारिकताये पूर्ण करने के उपरान्त कब्जा देय होगा। किश्त किराया क्रय अनुबन्ध / विक्रय विलेख हेतु उ0प्र0 श द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क क्रेता द्वारा स्वय वहन करना होगा।

ब सम्पत्ति लीज पर आवंटित है ब्रोशर में अंकित शर्तो के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण करने एवं समस्त जन सु विकसित कर एवं ब्रोशर में अंकित अन्य शर्ते पूर्ण करने के उपरान्त कुल भूमि मूल्य का 02 प्रतिशत फ्री होल्ड जमा कराकर विकासकर्ता सम्पत्ति को फ्रीहोल्ड करा सकेगा।

स. भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात मानचित्र स्वीकृत कराया जा सकेगा। मानचित्र स्वीकृत के पश्चात अ परिषद के भवन निर्माण उपविधि / समाचार पत्र में विज्ञप्ति एवं परिषद नियमानुसार एफ0ए0आर0 / ग्राउण्ड कवरे भूखण्ड पर योजना प्रकाशित करने का अधिकार होगा। परिषद से विक्रय विलेख निष्पादित कराने से पूर्व किसी क्रेता को विक्रय की गयी सम्पत्ति (दुकान / भवन, जो लागू हो) हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा। परिषद से मान स्वीकृत कराकर बल्क सेल भूखण्ड पर निर्माण कराने हेतु अनुमन्य अवधि कब्जा प्राप्त करने की तिथि [illegible]च वर्ष

द. विद्युत / ट्रांसफारमर का व्यय स्वय क्रेता को व्यय करना होगा।

य. भूखण्ड का क्षेत्रफल अनुमानित है। ब्रोशर की शर्त के अनुसार घट–बढ सकता है।

र. केन्द्र सरकार / उ0प्र0 सरकार / स्थानीय निकाय द्वारा लागू कर जैसे सर्विस टैक्स, आयकर, जलकर एवं अन्य क्रेता को स्वय वहन करना होगा।

ल आवंटित भूमि के सम्बन्ध में मा0 सक्षम न्यायालयो द्वारा समय–समय पर यदि कोई निर्णय पारित किये जाते है उनका अनुपालन उभयपक्ष को करना होगा।

व सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु इस पत्र पर नीचे अंकित सभी प्रपत्र दिनांक 31.5.2014 तक इस कार्यालय मे कर किश्त किराया अनुबन्ध निष्पादित कराना होगा, अन्यथा रू0–300.00 प्रतिदिन की दर से सम्पूर्ण प्रपत्र जमा क की तिथि तक विलम्ब शुल्क देय होगा। कब्जा पत्र निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर भौतिक कब्जा न लेना रू0–300.00 प्रतिदिन की दर से भौतिक कब्जा लेने की तिथि तक रख–रखाव शुल्क भी देय होगा।

प उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर शासन / परिषद द्वारा बनाये गये नियम व शर्ते आवटन की तिथि से प्रभावी एवं क्रेता को मान्य होगी।

फ टू–बिड से नीलामी हेतु निर्गत ब्रोशर मे अंकित नियम व शर्तो के अतिरिक्त जो प्राविधान उपलब्ध नही है, मे उ0 आवास एवं विकास परिषद नीलामी सम्बन्धी विनियमावली एवं प्रदेशन सम्बधी विनियमावली 1980 यथा संशो फरवरी 1993 के प्राविधान लागू होगे।

ब टू–बिड से नीलामी हेतु निर्गत ब्रोशर में अंकित समस्त नियम व शर्ते आवंटी पर लागू होगी तथा इन नियम व शर्त संशोधन / आंशिक संशोधन किये जाने का अधिकार आवास आयुक्त महोदय मे निहित होगा। किसी भी विवाद स्थिति में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अंतिम एवं स्वीकार्य होगा।

भवदीय

उप आवास आयुक्त
कृते आवास आयुक्त

<u>आवंटी द्वारा दिनांक 31.5.2014 तक इस कार्यालय में जमा करने वाले प्रपत्रों की सूची :–</u>

1. कब्जे से पूर्व भूखण्ड के कुल मूल्य का 07 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी अथवा शासनादेश के अनुसार लागू स्ट ड्यूटी एवं रू0–100.00 का स्टाम्प पेपर जमा करें। स्टाम्प पेपर की गणना समय–समय पर शासन आदेशानुसार परिवर्तनीय है।
2. स्टाम्प पेपर कोषाधिकारी गाजियाबाद से निर्गत ही मान्य होगें।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–27 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा गाजियाबाद के कार्याल से 05 नग साईट प्लान प्राप्त कर जमा करावें।
4. राजपत्रित अधिकारी से दो फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर जमा करें। कम्पनी / संस्था की दशा मे प्र प्रमाण पत्र भी जमा कराना होगा।
5. रू0–50.00 फ्री–होल्ड पुस्तिका शुल्क जमा करा पुस्तिका कार्यालय से प्राप्त करें।
6. रू0–10.00 के स्टाम्प पेपर पर फ्री–होल्ड शपथ पत्र।